



ग्रामोत्थान परियोजना, REAP जनपद, देहरादून संशोधित विज्ञप्ति



व्यक्तिगत उद्यमियों/कंपनियों से उद्यम स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रण

ग्रामोत्थान (REAP) परियोजना के माध्यम से इच्छुक व्यक्तिगत उद्यमियों/कम्पनियों से उद्यम स्थापना हेतु ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (ग्रामोत्थान/REAP) जनपद देहरादून में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं सतत आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हेतु पात्र एवं इच्छुक व्यक्तिगत उद्यमियों/कम्पनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

प्रस्तावित गतिविधियां (रु. लाख में)–

क्रम सं०	उद्यमों का नाम	कुल मात्रा / संख्या	धनराशि प्रति यूनिट (लाख में)	परियोजना अंश (25%) (लाख में)	बैंक लोन (50%) (लाख में)	लामार्थी अंश (25%) (लाख में)
Farm Based Enterprises						
01	Sorting, Grading, Milling	01	35.00	08.75	17.50	08.75
02	Pack house	02	35.00	08.75	17.50	08.75
03	Small Rice Mill	01	40.00	10.00	20.00	10.00
04	Small Oil Extraction Unit	01	27.00	06.75	13.50	06.75
05	Food Processing unit	01	87.00	21.75	43.50	21.75
06	Retail Outlet	01	10.00	02.50	05.00	02.50
07	Mushroom- Large unit	01	50.00	12.50	25.00	12.50
08	Ginger Handling Facilities	01	32.00	08.00	16.00	08.00
09	Other Enterprise	05	15.00	03.75	07.50	03.75
कुल योग		14	331.00	82.75	165.50	82.75
Non-Farm Based Enterprises						
01	Prasad & Snack Units	01	20.00	05.00	10.00	05.00
02	Waste Flower Management	01	24.00	06.00	12.00	06.00
03	Minor Assembly Units	01	12.00	03.00	06.00	03.00
कुल योग		03	56.00	14.00	28.00	14.00

नोट– **Other Enterprise** अथवा अन्य उद्यमों में कृषि, बागवानी और पशुपालन आधारित उद्यम, – हस्तशिल्प और हथकरघा, जैविक उत्पादन और विपणन, पर्यटन और होमस्टे, ग्रामीण सेवायें (आईटी, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा) और अन्य नावाचार आधारित उद्यम शामिल हो सकते हैं।

आवेदन हेतु पात्रता–

- आवेदक को किसी भी पंजीकृत इकाई (व्यक्ति/कंपनी/संस्था) के रूप में कार्यरत होना चाहिये।
- संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना आवश्यक।
- विगत 3 वर्षों का बैंक/वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रमाण (यदि हो)।
- पैन कार्ड, जीएसटी (यदि लागू हो), और अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने की प्रतिबद्धता एवं वर्तमान में संचालित उद्यम की योजना प्रस्तुत करनी होगी।
- सालाना टर्न ओवर के आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होंगे।
- उत्तराखंड में स्थापित उद्यमियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि– 17/09/2025

आवेदन जमा करने की प्रक्रिया–

इच्छुक उद्यमियों/कम्पनियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अपने विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्ताव से कितने ग्रामीण सदस्यों को परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा तथा प्रतिवर्ष उनकी आय में कितनी बढ़ोत्तरी होगी) को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

- कम्पनी/व्यक्ति का परिचय/पंजीकृत प्रमाण पत्र/Proprietor का MSME पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- प्रस्तावित उद्यम का पूर्ण प्रस्ताव एवं बिजनेस प्लान।
- प्रस्ताव का वित्तीय अनुमान एवं योजना।
- पूर्व सम्भावित कार्य का विवरण (यदि कोई हो)।
- उद्यमी के बैंक ऋण की बैंक से सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र (यदि हो)।
- सीए द्वारा सत्यापित विगत 3 वर्ष की बैलेन्स शीट / ITR प्रस्तुत करनी होगी।

अधिक जानकारी हेतु जनपद परियोजना कार्यालय पता–जिला परियोजना प्रबंधक, ग्रामोत्थान (UGVS-REAP) सर्वे चौक, इंदिरा अम्मा भोजनालय के उपरी तल में)
कार्यालय विकासभवन, देहरादून, उत्तराखंड। संपर्क सूत्र– +917500609462 ई-मेल : reapdehradun@ugvs.org

- उक्त विज्ञापन से सम्बंधित प्रारूप एवं शर्तों को www.ugvs.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना ग्रामोत्थान (REAP) देहरादून अंतर्गत गठित समिति के किसी भी आवेदन को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

जिला परियोजना प्रबंधक
(ग्रामोत्थान, REAP), देहरादून।

जिला मिशन प्रबंधक
NRLM, देहरादून।

मुख्य विकास अधिकारी
देहरादून।